	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
	1	

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर0एम0ए0 वाद संख्या– 08/2020–21
मनोज मंडल
–बनाम–
राज्य सरकार

अपीलार्थी :–
(1). मनोज मंडल, पे0– स्व0 नन्दलाल मंडल, सा0– बांका पहाड़पुर, थाना– बरहरवा, जिला– साहेबगंज।

–बनाम–

उत्तरवादी :– झारखंड सरकार एवं अन्य
(1). जनार्दन मंडल, पे0– चंदर मंडल।
(2). बापन मंडल, पे0– जनार्दन मंडल।
(3). वापी मंडल, पे0– जनार्दन मंडल।
(4). प्रतिमा मंडल, पे0– स्व0 शंभू मंडल, सर्वसाकिन– बांका पहाड़पुर, थाना– बरहरवा, जिला– साहेबगंज।

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद मनोज मंडल, पे0– स्व0 नन्दलाल मंडल, सा0– बांका पहाड़पुर, थाना– बरहरवा, जिला– साहेबगंज के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के आर0ई0 वाद सं0– 06/2019–20 में दिनांक– 15.02.2020 को पारित आदेश के विरूद्व अपील वाद दायर किया गया है। अपील के साथ कालक्षांत के लिए धारा 5 के तहत दाखिल आवेदन पर विचार करते हुए काक्षांत किया गया।

वाद को अंगीकृत की गई। उत्तरवादी को नोटिस निर्गत कर नोटिस तामिला कराई गई एवं निम्न न्यायालय से इस न्यायालय के ज्ञापांक– 48/डी0बी0, दिनांक– 05.12.2020 द्वारा अभिलेख की मांग की गई।

नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। उत्तरवादी उपस्थित।

अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के द्वारा आर0ई0 वाद सं0– 06/2019–2020 का मूल अभिलेख प्राप्त। उत्तरवादी के अनुपस्थित रहने की स्थिति में पक्ष को सुनाया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा आर0ई0 वाद सं0– 06/2019–20 में दिनांक– 15.02.2020 को पारित आदेश के विरूद्व अपील दायर किया है। अपीलार्थी की माँ ने मौजा– पहाड़पुर, जमाबंदी नं0– 33, दाग नं0– 166, रकवा– 03 कठ्ठा 13 धूर से जमीन दुलु मंडल, पे0– स्व0 हरेक मंडल, सा0– पयुल्लाग्राम, थाना– फरक्का, जिला– मुर्शिदाबाद से

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

निबंधित केवाला सं0– 621, दिनांक– 16.02.2015 के द्वारा खरीद कर अपने नाम से नामांतरण के पश्चात् पंजी– II में मिनू देवी के नाम दर्ज हुआ।

उक्त भूमि के आंशिक करवा 01 कठ्ठा 13 धूर भूमि पर आवासीय मकान का निर्माण किया गया एवं रकवा 02 कठ्ठा भूमि खाली रहने के कारण विपक्षीगण द्वारा जोर जबरदस्ती मिलकर झोपड़ीनुमा घर बना लिये, जिसे उक्त भूमि से खाली करने के विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के न्यायालय में आर0ई0 वाद सं0– 06/2019–20 दायर किया गया। जिसमें अपीलार्थी के आवेदन को खारीज कर दिया गया। जो कानूनन गलत है।

आगे अपने तर्क में यह भी कहा गया कि विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल ने बिना दस्तावेज को देखे, उच्छेदी वाद को खारिज कर दिया गया। विवादित भूमि अपीलार्थी की माँ भिनू मंडल, पति– स्व0 नन्दलाल मंडल निबंधित केवाला सं0– 62, दिनांक– 16.02.2015 के माध्यम से क्रय कर उसमें दखलकार हैं एवं अपने नाम से नामांतरण कराकर दखलकार है। नामांतरण के समय उत्तरवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार के आपत्ति अंचल अधिकारी, बरहरवा के समक्ष नहीं किया गया। अंचल अधिकारी, बरहरवा के नामांतरण आदेश भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के न्यायालय में अपील दायर करना चाहिए था। परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

आगे उन्होने यह भी कहा कि विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल को उच्छेद वाद मे निर्णय लेने के पूर्व उन्हे यह देखना चाहिए कि निबंधित दस्तावेज एवं जमाबंदी खतियान के विरूद्व सिविल कोर्ट में चुनौती दी गई है या नहीं। से संबंधित साक्ष्य स्वरूप दस्तावेज अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी।

आगे यह भी कहा गया कि विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल राजस्व उपनिरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन को नजर अंदाज कर दिनांक– 15.02.2020 को उच्छेद आदेश पारित कर दिये, जो कानूनन गलत है। क्योंकि राजस्व उपनिरीक्षक ही मौजा के भूमि से संबंध रखता है। राजस्व उपनिरीक्षक के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया था कि विपक्षीगण द्वारा अवैध दखल कब्जा कर रखा है।

उनके द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा आर0ई0 वाद सं0– 06/2019–20 में दिनांक– 15.02.2020 के पारित आदेश को अपास्त (Set-aside) करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी अनुपस्थित रहे। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, बरहरवा अन्तर्गत मौजा– बांका पहाड़पुर, जमाबंदी नं0– 33, दाग नं0– 166, रकवा– 03 कठ्ठा 13 धूर भूमि का खतियानी रैयत गुधनी मंडलाइन है। अपीलार्थी एवं उत्तरवादी दोनो एक वंश वृक्ष के है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि चन्दर मंडल, पिता– गादु मंडल अपने जीवन काल में मौजा– पहाड़पुर के जमाबंदी नं0– 33, दाग नं0– 166 का रकवा 03 कठ्ठा 13 धूर किसी भी व्यक्ति के पास बिक्री नहीं किये है। दाग नं0– 166 पर खतियानी रैयत का मकान था एवं चन्दर मंडल के मृत्यु के बाद उनका तीनों बेटा क्रमशः चन्द्रशेखर मंडल, जनार्दन मंडल एवं शंभु मंडल का घर तथा तीनों भाई का एक ही आंगन है। जिसमें सभी निवास कर रहते है। इस प्रकार विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी,

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2025.04.09 15:40:55 +05:30
Location: 192.168.0.155